

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल 462004

क्रमांक-297/886/2020/20-3

भोपाल दि० 17/08/2021

प्रति,

सचिव

सी०बी०एस०ई०

नई दिल्ली

विषय- अशासकीय संस्था को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र देने बावत्।

संदर्भ- इस विभाग का आदेश/पत्र क्रमांक-304/405/21/20-3, दिनांक 06.04.2021

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित आदेश/पत्र का कृपया अवलोकन करें।

2/ अतः निर्देशानुसार, अनुरोध है कि ए.पी.एन.हायर सेकेन्डी स्कूल केंट, जिला-जबलपुर म०प्र०को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से संबंधता प्राप्त किये जाने संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था के स्थान पर ए.पी.एन.सी.बी.एस.ई सीनियर सेकेन्डी स्कूल केंट, जिला-जबलपुर म०प्र०को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से संबंधता प्राप्त जाना पढ़ा जाये। शेष आदेश यथावत।

(के०के०द्विवेदी)

उप सचिव

म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ० क्रमांक-297/304/405/20-3

भोपाल, दिनांक 17/8/2021

प्रतिलिपि :-

- (1) आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, म०प्र० भोपाल।
- (2) सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म०प्र० भोपाल ।
- (3) विशेष सहायक, मान० राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल
- (4) संयुक्त संचालक, लोकशिक्षण संभाग.....म०प्र०
- (5) जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-जबलपुर म०प्र०।
- (6) प्राचार्य, ए.पी.एन.सी.बी.एस.ई सीनियर सेकेन्डी स्कूल स्कूल केंट जबलपुर जिला-जबलपुर
- (7) फोल्डर प्रति।

सूचनार्थ एवं अशासकीय कार्यवाही हेतु अद्योषित।

उप सचिव

म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक- 304 /405/2021/20-3
प्रति,

भोपाल, दि 06 /4/2021

सचिव
सी०बी०एस०ई०,
नई दिल्ली।

विषय:- अशासकीय संस्था को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देने वावत्।

राज्य शासन एतद् द्वारा अशासकीय संस्था-ए०पी० नर्मदा उ०मा०शाला जबलपुर केन्द्र, जिला-जबलपुर, म०प्र० को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के आधार पर प्रदान किया जाता है:-

- (1) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरांत भी मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम, 2017 में दिये गये प्रावधानों का पालन किया जावेगा।
- (2) विद्यालय प्रबंधन द्वारा विद्यालय की प्रबंधन समिति में संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण तथा उनके द्वारा नामांकित एक प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में नामांकित करना होगा तथा प्रबंधन समिति की बैठकों में शासकीय सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- (3) संस्था द्वारा प्रवेश संबंधी नियम प्रक्रिया तथा निर्धारित शुल्क यथा-समय प्रकाशित किये जायेंगे। शिक्षण शुल्क लेने में पालकों का शोषण नहीं किया जायेगा।
- (4) संस्था विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रम तथा अन्य छात्र-शिक्षकों की गतिविधियों के लिये खेल का मैदान, छात्रावास भवन की सुविधा आदि आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेंगे। इस हेतु संस्था से वचन पत्र लिखा जाये।
- (5) संस्था द्वारा प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान मेलो आदि के आयोजन में सहयोग एवं सार्थक भूमिका प्रदान की जावेगी।
- (6) निःशक्त छात्रों के लिये संस्था को रेम्प की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। संस्था निःशक्त छात्रों को प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगी। इस संबंध में प्राप्त शिकायत यदि सिद्ध पाई गई तो संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

Principal
A.P.N. C.B.S.E. Senior Secondary
School, Jabalpur Cantt.

Pres. निरन्तर...2
A.P.N. C.B.S.E. Senior Secondary
School, Jabalpur Cantt.

Manager
A.P.N. C.B.S.E. Senior Secondary
School, Jabalpur Cantt.

- (7) छात्र-छात्राओं को शालाओं में लगने वाले पुस्तके एवं लेखन सामग्री खुले बाजार से क्य करने की सुविधा रहेगी। किसी दुकान विशेष से क्य करने की बाध्यता नहीं रहेगी।
- (8) संस्था के छात्रों को उनके निवास से विद्यालय तक लाने एवं वापिस भेजने के लिये परिवहन विभाग द्वारा दी गई अनुमति प्राप्त एवं वैद्य वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों को किसी भी ऐसे ज्वलनशील साधन जैसे घरेलू एलपीजी आदि से संचालित नहीं किया जायेगा।
- (9) शिक्षण संस्था में मानव उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कियाशील अग्नि-शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था की जाएगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन भी करना होगा।
- (10) छात्रों की सुरक्षा तथा परिवहन के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग व परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना होगा।
- (11) संस्था के पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेद-भाव तथा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले किन्हीं पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जायेगा और भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकें भी नहीं रखी जा सकेगी।
- (12) संस्था के संचालन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण/जांच करने का अधिकार होगा।
- (13) विद्यालय प्रबंधन विद्यालय में प्रवेश के लिये बच्चों तथा माता-पिता अथवा अभिभावकों को किसी प्रकार भी प्रकार की स्कीनिंग प्रक्रिया नहीं अर्पनाएगा।
- (14) संबंधित विद्यालय द्वारा तैयार शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक अमले की सेवा शर्तें जो कि राज्य शासन के समरूप होनी चाहिए के पालन न होने की स्थिति में संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण आवश्यक कार्यवाही हेतु सक्षम होंगे।
- (15) सम्यक निरीक्षण के पश्चात एक वार मान्यता प्रदान कर दिये जाने पर सोसायटी/ट्रस्ट मान्यता के समय दावाकृत किन्हीं भी मापदण्डों को परिवर्तित नहीं करेगा। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी किसी भी समय स्कूल परिसर का निरीक्षण कर सकते हैं, यदि निरीक्षण के समय यह पाया जाता है कि सोसायटी/ट्रस्ट किन्हीं मापदण्डों का पालन नहीं कर रहा है तो संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण को मान्यता नियम, 2017 के नियम-11 के उप नियम-(1) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का.....

Meena
President निरन्तर....3

A.P.N. C.B.S.E. Senior Secondary
School, Jabalpur Cantt.

Principal

A.P.N. C.B.S.E. Senior Secondary
School, Jabalpur Cantt.


A.P.N. C.B.S.E. Senior Secondary
School, Jabalpur Cantt.

//3//

अनुसरण करते हुए स्कूल की मान्यता निलंबित करने और पश्चातवर्ति
इसे वापिस लेने की शक्ति होगी।

2/ उपर्युक्तानुसार शर्तों का पालन न करने पर जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र
निरस्त किया जा सकेगा।


मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


24/4/21
(प्रमोद सिंह)
उप सचिव


म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल, दि0 6/4/2021

पृ0 कमांक-3057405/2021/20-3
प्रतिलिपि:-


- (1) आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, म0प्र0 भोपाल।
- (2) सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म0प्र0 भोपाल।
- (3) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग, म0प्र0
- (4) जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-जबलपुर, म0प्र0
- (5) विशेष सहायक, मान0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), स्कूल शिक्षा विभाग,
भोपाल।
- (6) प्राचार्य, अशासकीय संस्था-ए0पी0 नर्मदा उ0मा0शाला जबलपुर केन्द्र,
जिला-जबलपुर, म0प्र0
- (7) फोल्डर प्रति
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


24/4/21
उप सचिव

म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग


Meena
President

A.P.N. C.B.S.E. Senior Secondary
School, Jabalpur Cantt.


Principal

A.P.N. C.B.S.E. Senior Secondary
School, Jabalpur Cantt.


Manager

A.P.N. C.B.S.E. Senior Secondary
School, Jabalpur Cantt.